भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 778

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना

†778. श्री राजू बिष्ट:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए किए गए वित्तीय आवंटन का जिलेवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2019 से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में शुरू की गई स्वास्थ्य परियोजनाओं का जिलेवार/ब्लॉकवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्ष 2019 से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में निर्मित/निर्माणाधीन/पूर्ण हो चुके स्वास्थ्य अवसंरचना का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और
(घ) वर्ष 2019 से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों की भर्ती सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक

पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए गए वित्तीय आवंटन का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	एसपीआईपी अनुमोदन (लाख रुपए में)
2019-20	16,269.00
2020-21	17,727.50
2021-22	7,851.58
2022-23	9,298.13
2023-24	502.25

नोट: टिप्पणी एसपीआईपी अनुमोदन राज्य/संघराज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार है और यह अनंतिम है।

वर्ष 2019 से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों सहित पश्चिम बंगाल राज्य के लिए स्वीकृत स्वास्थ्य परियोजनाओं का विवरण सार्वजनिक डोमेन https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=62&lid=75 में उपलब्ध है:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त, भारत सरकार ने दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों सहित पश्चिम बंगाल को स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए निम्नलिखित धनराशि आवंटित की है:

- **पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना करता है। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना करता है। राज्य के प्रस्ताव के अनुसार, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज स्तर पर 510 शहरी-एएएम (यू-एएएम), 23 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 22 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना और मजबूती के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को चार वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए 1309.84 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

- पश्चिम बंगाल राज्य के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) के तहत, राज्य के प्रस्ताव के अनुसार 1759 भवनहीन उप स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सीएचसी (1670 एसएचसी, 80 पीएचसी और 9 सीएचसी) और 341 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) की स्थापना और

सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच साल की अवधि में 1,285.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में पीएम-एबीएचआईएम और एफसी-XV के तहत शुरू की गई स्वास्थ्य परियोजनाओं का वर्षवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के तहत कल्याणी में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) अर्थात (1) कोलकाता मेडिकल कॉलेज (2) बीएस मेडिकल कॉलेज, बांकुरा (3) सरकारी मेडिकल कॉलेज, मालदा और (4) उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के उन्नयन को मंजूरी दी गई है।

- केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए ऐसे वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य में बीरभूम (रामपुर हाट), कूच बिहार, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, उत्तरी दिनाजपुर, बारासात, उलुबेरिया, आरामबाग, झारग्राम, तामलुक और जलपाईगुड़ी जिलों में 11 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई। सभी 11 स्वीकृत मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं।

अनुलग्नक-I

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में पीएम-एबीएचआईएम और एफसी-XV के अंतर्गत स्वास्थ्य परियोजनाओं का विवरण

दार्जिलिंग जिले में पीएम एबीएचआईएम और एफसी-XV के तहत अनुमोदित इकाइयों की संख्या:

वित्त वर्ष	भवन रहित एसएचसी (इकाइयां)	भवन रहित पीएचसी (इकाइयां)	बीपीएचयू (इकाइयां)	क्रिटिकल केयर ब्लॉक (50 बिस्तर वाले) (इकाइयां)	एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (इकाइयाँ)
2021-22	4	-	2	-	-
2022-23	3	-	4	1	-
2023-24	29	2	3	-	-
2024-25	-	-	-	-	1

कालिम्पोंग में पीएम एबीएचआईएम और एफसी-XV के तहत अनुमोदित इकाइयों की संख्या:

वित्त वर्ष	भवन रहित एसएचसी	भवन रहित पीएचसी	बीपीएचयू	एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला
2021-22	1	-	1	-
2022-23	1	-	2	-
2023-24	-	1	-	-
2024-25	-	-	-	-
2025-26	-	-	-	1

*****